289

397

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय खण्ड पीठ रीवा संभाग रीवा म.प्र.

- - - - - - - - -

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

रामरथी उर्फ रामरती पटेल पिता देवलाल पटेल पेशा-खेती निवासी ग्राम-रमपुरवा, तह- देवसर, जिला- सिंगरौली म.प्र. ------ आवेदक-

बनाम

- - -

R-1198-I/12

1- तेजप्रताप पिता स्व- वेंकटेश्वर राम ब्रा- पेशा खेती,

2- रामलल्लू पिता स्व- वेंकटेश्वर राम ब्रा- पेशा-खेती सा-रमपुरवा, तह- देवसर, जिला- सिंगरौली म.प्र. - - - अनावेदकगण-

अधिवक्ता श्री रामभाय
द्वारा प्रस्तुत
रीवा दिनांक 18-4-2012
18/4/12

पुनरीक्षण विरूद्व आदेश न्यायालय श्री एम-के-जैन अपर कलेक्टर वैढ़न जिला- सिंगरौली म.प्र. के रा.प्र.क्र- 5/अ निगरानी/2011-12 मे पारित आ-दि- 12-4-12

- - - - - - - -

पुनरीक्षण अन्तर्गत् धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

- - - - - - - -

मान्यवर,

निम्नांकित आधारो पर यह निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही है :-

1= यहकि निगरानी कर्ता के पक्ष मे तहसीलदार तह- देवसर द्वारा रा.प्र.क्र- 13/अ-74/04-05 आ-दि- 12-12-04 को आदेश पारित किया गया था, जिससे व्यथित होकर करीव 10 महिने वाद अनावेदक गण तेजप्रताप व रामलल्लू द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी के यहां दि- 17-10-05 को अपील प्रस्तुत किए थे। जिसका अपीलीय प्र- क्र- 78/अपील/05-06 मे पंजीवद्व किया जाकर माननीय उपखण्ड अधिकारी देवसर ने दि- 6-9-11 को अनावेदक गणो की अपील समय सीमा से वाहर मानकर खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अनावेदक गणो ने अपर कलेक्टर वैढ़न के यहां निगरानी प्रस्तुत किए तथा निगरानी मे यह मांग किए कि उपखण्ड अधिकारी के आ-दि- 6-9-11 को निरस्त करते हुए प्रकरणपुनः गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के लिए माननीय उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाय, आवेदक गण को नोटिस प्राप्त

(289)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1198–I / 2012** जिला–सिंगरौली

रामरथी उर्फ रामरती / तेजप्रताप

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामाश्रय शुकला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर बैढ़न, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 05 / निग0 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	